# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

वादी– बजरंगलाल व अन्य    प्रतिवादी– विकास अधिकारी पं.सं. फागी व अन्य

केस संख्या :74/2017

**वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा**

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 01.06.2018 | :—निर्णय:— <br><br> आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। <br> वकील वादी उप0। प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वयं उप0। प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से पैरोकार राज0 उप0। पूर्व में वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी. स्वीकार कर मौका कमिश्नर रिपोर्ट तहसीलदार फागी से चाही गई थी। <br> पैरोकार राज0 ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, शामिल पत्रावली की गई। <br> पक्षकारान को सुना गया। <br> वकील वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण वाद में वर्णित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण की आराजीयात खसरा नंबर 1856 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा, ग्राम पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर पर प्रतिवादी सीमाज्ञान दिनांक 26.04.2017 से परे जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि पर पूर्वजो के समय से पडी डोल व पेडो को हटवाकर रास्ता ग्रेवल सडक डलवाने पर आमादा है। न्यायहित में वादीगण के अधिकारो की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। <br><br> पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, फर्द मौका रिपोर्ट इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादीगण आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण के खातेदारी अधिकारो की रक्षार्थ वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। <br><br> अतः वादीगण वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 1856 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा ग्राम पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी एवं कब्जा, ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। <br><br> निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पीपला में सुनाया गया। <br><br> (सावन कुमार चोयल) <br> उपखण्ड अधिकारी <br> फागी | |

Scanned by CamScanner